

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002  
ई मेल:- [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/Ajm-89/LST-1

Date: 30/9/2016

प्रेषित Agent, M/S Shree Cement Ltd.,  
Bangur Nagar, Tehsil- Beawer,  
Distt.- Ajmer, Rajasthan, Pin Code- 305901

विषय: राजस्थान राज्य के **Ajmer** जिले में स्थित आपकी Sheopura Kesarpura Limestone  
खान ८५६.८ हैक्टे मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन  
(खान कोड संख्या 38RAJ01001)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **08.09.2016** को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने  
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित एमसीडीआर 2011 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन  
किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 13(1) The Mining operations had not been carried out in accordance to the mining plan approved on 29/7/2013 up to the extent as under.
- 1) As per Table 5.3, a stripping ratio of 1: 0.63 was proposed for both eastern & western pit but actual stripping ratio is 1:0.44, which represents that proportional development is not proper.
  - 2) As per Para 6.1.1, an area of 300m X 150m was proposed for backfilling in eastern pit, but actual backfilling had been done over an area of 1 ha only.
  - 3) As per Para 6.0 of PMCP a retaining wall of length 250m + 630m + 700m + 310m for the First, Second, Third & fourth year of the plan period were proposed for stabilising the dumps. But so far no retaining wall had been constructed.
- 23E(2) The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a –vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
  - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

( एच.सी.शर्मा )  
वरि सहायक खान नियंत्रक  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, **Beaver** को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरि सहायक खान नियंत्रक  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो